



प्ररूप 26
(नियम 4क देखिए)

30 पिरान कोलार.....(निर्वाचन क्षेत्र से)

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

उत्प्राशण्ड विधान सभा.....(सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ-पत्र

मैं, मस्कु सिंह.....पुत्र/पुत्री/पत्नी चमनलाल
.....आयु 34 वर्ष, जो F. No. 12 राजेंद्र नगर शाहीपुर स्ट्रीट
65 की जिला कोलार
का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ/शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:-

1. मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं। नहीं

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी):- नहीं

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं..... नहीं
- (ii) पुलिस थाना (थाने).....जिला (जिले)राज्य नहीं

(iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है..... नहीं

(iv) न्यायालय , जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई..... नहीं

(v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया थे..... नहीं

(vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं..... नहीं

2. मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से निम्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं

[Signature]

ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है/नहीं किया गया है। लागू नहीं

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दण्डादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :- नहीं

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं..... लागू नहीं

(ii) न्यायालय, जिसने दण्डित किया है..... लागू नहीं

(iii) पुलिस थाना (थाने)..... जिला (जिले)

राज्य..... लागू नहीं

(iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है..... लागू नहीं

(v) तारीख (तारीखें) जिनको दण्डादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे..... लागू नहीं

(vi) क्या दण्डादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए हैं.....



लागू नहीं
श्री शशि चंद्र इन्डियन

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूँ कि इस शपथ-पत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्विक बात छिपायी नहीं गयी है।

.....स्थान पर आज तारीख.....को सत्यापित किया।

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

टिप्पणी :- इस प्ररूप के वे स्टम्भ, जो अभिसाक्षी को लागू नहीं हैं, काट दिये जायें।

SR No. 09

Time 9.35 A.M./P.M.

VERIFIED & ATTESTED

(S K MAHESHWARI)
Advocate & Notary Public
Teh Roorkee Distt. Haridwar, U.P.

IDENTIFIED BY

Mu. 09

11-1-12

ARG

Civil Court Roorkee

Regd. No. 1249/87

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
रु.10



TEN
RUPEES
Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

नो-जुडिसियरी (रु.10)
कोड संख्या - 5500
- 4 JAN 2012
जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)
2010-2011

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

12AA 759478

संलग्न 4164 मार्च 26 दिनांक 4A
के सम्बन्ध में एवम् शुल्क अदाकारी के लिए



महकमिन्दे SP चमन लाल निं F 441/2
राजेन्द्रु नगर शिमोपुर डा व 50 हडकी
जिला हरिद्वार